

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937
No. 80]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/ MAGHA 14, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

सा.का. नि. 137(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल चिकित्सा सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल चिकित्सा सेवा भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची-1 में प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी/ ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के सामने, स्तंभ-8 में, शीर्ष "आवश्यक" के अधीन मद (iii) में "और दो वर्ष का अनुभव" शब्द के स्थान पर "या दो वर्ष का अनुभव" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 2007/ई(जी आर)II/2/1/भाग 2]

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 88, तारीख 29 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 366, तारीख 13 सितम्बर, 2000 द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2016

G.S.R. 137(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Railway Medical Service Recruitment Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Medical Service Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railway Medical Service Recruitment Rules, 2000, in Schedule-I, against the post of Divisional Medical Officer/Senior Medical Officer, in Column 8, under the heading “Essential”, in item (iii), for the words “and two years’ experience”, the words “or two years’ experience” shall be substituted.

[F.No.2007/E(GR)II/2/1/Pt.2]

RASHMI CHOWDHARY, Executive Director Establishment (Gaz. Cadre)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R 88, dated the 29th February, 2000 and subsequently corrigendum was issued *vide* number G.S.R 366, dated 13th September, 2000.